

कार्यालय:- प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ म0प्र0

// नीलामी विज्ञप्ति //

क्रमांक 02/चार /4-2/2022

राजगढ़, दिनांक 27.09.25

सर्व साधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ म0प्र0 के आधिपत्य का शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02 एच.सी.0247 इंडिगो मांजा को (जहां है जैसी स्थिति में है) **नीलामी दिनांक 29.10.2025** को प्रातः 10:30 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलामी किया जाना है।

इसके लिए इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकते हैं। वाहन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	शासकीय वाहन क्रमांक व नम्बर	स्थान जहां वाहन रखा गया	वाहन की निष्प्रयोजित राशि	मॉडल वर्ष	रिमार्क
01	MP.-02-HC-0247 Indigo Manza	थाना सारंगपुर जिला राजगढ़ म.प्र.	73,000 / -	2012	

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ के नाम से देय राशि रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस /समय में नजारत अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला राजगढ़ की अधिकारिक वेबसाइट (<https://rajgarh.dcourts.gov.in/hi/>) पर भी देखी जा सकती है।

उपरोक्त शासकीय वाहन इंडिगो मांजा की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्त निम्नानुसार है।

निविदा शर्त:-

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 02 एच.सी.0247 इंडिगो मांजा का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि रुपये 73000 / - (रुपये तिहतर हजार रुपये मात्र) (शासकीय बोली)नियत है।
2. उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने /बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ के नाम से देय हो, नगद राशि नायब नाजिर नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने /बोली लगाने की पात्रता होगी
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली /स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ के नाम से जमाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. वाहन जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम होगा। वाहन का अवलोकन करना चाहे तो नजारत अनुभाग, सारंगपुर न्यायालय राजगढ़ में कार्यालयीन समय में नायब नाजिर सारंगपुर से सम्पर्क कर नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक वाहन का अवलोकन कर सकते हैं।
9. बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है ऐसा माना जावेगा
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में थाना सारंगपुर जिला राजगढ़ से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण –जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोप करने एवं क्रेता के नाम से नवीन रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।
12. वाहन क्रमांक चैसिस नंबर इंजन नंबर निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
13. वाहन नीलामी की बोली स्वीकार होने के उपरांत वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. **वाहन की नीलामी दिनांक 29.10.2025** से अधिकतम बोली आने तक की जावेगी
15. नायब नाजिर सारंगपुर के माध्यम से थाना सारंगपुर में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सांय 5.30 बजे तक देखा जा सकेगा।
16. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(संजय कुमार पाण्डेय)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़

पृष्ठांकन क्र. 655 / 2025
प्रतिलिपि :-

राजगढ़, दिनांक 27.09.25

1. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, विज्ञापन शाखा बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर निःशुल्क प्रसार/प्रसार हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय राजगढ़, की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित कर लेख है कि नीलाम विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. कार्यालय कलेक्टर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजगढ़ की ओर प्रेषित कर लेख है कि सूचना समस्त सार्वजनिक स्थानों के सूचना पटल पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. नायब नाज़िर, कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ की ओर प्रेषित कर लेख है कि नीलामी विज्ञापन प्रकाशित करवाकर अखबार की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें एवं न्यायालय भवन के मुख्य सूचना पटल, प्रवेश द्वार एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़, नगर पालिका परिषद राजगढ़ के मुख्य सूचना पटल पर नीलाम विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग राजगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञापित ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ की ओर माननीय महोदय जी, को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सारंगपुर जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

(संजय कुमार पाण्डेय)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़